



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या - 431 राँची, सोमवार, 12 श्रावण, 1948 (श०)  
3 अगस्त, 2026 (ई०)

---

#### विधि (विधान) विभाग

-----

#### अधिसूचना

31 जुलाई, 2026

**संख्या-एल0जी0-24/2010-23/लेज0** --झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-30/07/2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

#### **झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026**

**(झारखण्ड अध्यादेश संख्या- 01, 2026)**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम- 12, 2017) में संशोधन हेतु अध्यादेश।

#### प्रस्तावना

चूँकि, झारखण्ड राज्य की विधान-सभा सत्र में नहीं है और चूँकि, झारखण्ड राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम 12, 2017) के कतिपय विद्यमान प्रावधानों में संशोधन, विलोपन तथा प्रतिस्थापन हेतु तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है:-

इसलिए अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते हैं:-

**1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-** (i) यह अध्यादेश झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा जाएगा।

(ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(iii) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अध्यादेश के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे:

## **2. धारा 2 का संशोधन।**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, --

(i) खंड (61) में, “धारा 9” शब्द और अंक के स्थान पर, “इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ; यह 01 अप्रैल 2025 से सम्मिलित किया जायेगा।

(ii) खंड (69) में, --

(क) उपखंड (ग) में “नगरपालिका या स्थानीय निधि” शब्दों के स्थान पर, “नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**‘स्पष्टीकरण--**इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, --

(क) “स्थानीय निधि” से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजित करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ;

(ख) “नगरपालिका निधि” से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ;;

(iii) खंड (116) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(116क) “विशिष्ट पहचान चिह्नांकन” से धारा 148क की उपधारा (2) खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या अन्य उसी प्रकार का चिह्नांकन, जो विशिष्ट सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है ;”।

**3. धारा 12 का संशोधन ।**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

**4. धारा 13 का संशोधन ।**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

**5. धारा 17 का संशोधन ।**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) में, --

(i) “संयंत्र या मशीनरी” शब्दों के स्थान पर, “संयंत्र और मशीनरी” शब्द रखे जाएंगे और इन्हें 1 जुलाई, 2017 से रखा हुआ समझा जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘स्पष्टीकरण 2--खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, “संयंत्र या मशीनरी” के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ लगाया जाएगा तथा “संयंत्र और मशीनरी” के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा ।’।

**6. धारा 20 का संशोधन ।**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, --

(i) उपधारा (1) में, “धारा 9” शब्द और अंक के स्थान पर, “इस अधिनियम धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, “धारा 9” शब्द और अंक के स्थान पर, “इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

**7. धारा 34 का संशोधन ।**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि --

(i) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या

(ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है।”।

### 8. धारा 38 का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 में, --

(i) उपधारा (1) में “स्वतः सृजित विवरण” शब्दों के स्थान पर, “कोई विवरण” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, --

(क) “के अधीन स्वतः जनित विवरण” शब्दों के स्थान पर, “में निर्दिष्ट विवरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में, “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (ख) में, “ikflrdÜkk द्वारा से” शब्द के बाद “सम्मिलित” शब्द अंतःस्थापित की जाएगी ;

(घ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“( ग ) ऐसे अन्य व्यौरे, जो विहित किए जाएं।”।

### 9. धारा 39 का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, “रीति और ऐसे समय के भीतर” शब्दों के स्थान पर, “रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्वंधनों के अधीन रहते हुए” शब्द रखे जाएंगे।

### 10. धारा 107 का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।”।

### 11. धारा 112 का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।”।

**12. नई धारा 122ख का अंतःस्थापन । (खोज और अनुसरण क्रियाविधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति।)**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“122ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसे माल पर संदेय कर के एक लाख रुपए की रकम के समतुल्य या उसकी दस प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।”।

**13. नई धारा 148क का अंतःस्थापन । (कतिपय मामलों के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि।)**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 148 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“148क. (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, --

(क) माल ;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है, को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में, --

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रानिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी ;

(ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है ।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, --

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाएगा ;

(ख) ऐसे समय के भीतर ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा ;

(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति प्रस्तुत करेगा ;

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो विहित की जाए ।”।

**14. अनुसूची 3 का संशोधन ।**

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में, --

(i) पैरा 8 के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्--

“(कक) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भंडागारण क्षेत्र में भंडागार में रखे गए माल की पूर्ति ;”;

(ii) स्पष्टीकरण 2 में, “पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए” शब्दों और अंक के स्थान पर, “पैरा 8 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए” शब्द, अंक और कोष्ठक 1 जुलाई, 2017 से रखे हुए समझे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :--

‘स्पष्टीकरण 3--पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, “विशेष आर्थिक जोन” “मुक्त व्यापार भंडागारण क्षेत्र” पदों के वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके हैं ।’।

**15. संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं ।**

सभी ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहीत किया गया है किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किया गया होता, यदि धारा 14 सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव),

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

## विधि (विधान) विभाग

-----

### अधिसूचना

31 जुलाई, 2026

संख्या-एल0जी0-24/2010-24/लेज0 --माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-30/07/2026 को अनुमत झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

### Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2026

(Jharkhand Ordinance No.- 01, 2026)

An Ordinance to amend Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act 12, 2017), in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

### Preamble

Whereas the legislative Assembly of State of Jharkhand is not in session and whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action to amend and or delete and or substitute certain existing provisions and also to bring certain new provisions into the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act No. 12, 2017).

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

**1. Short title and commencement.** - (i) This Ordinance may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2026.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) Save as otherwise provided, the provisions of this ordinance shall come into force on such date as the Government of Jharkhand may, by notification in the Official Gazette, appoint:

### **2. Amendment of section 2.**

In the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred as the Jharkhand Goods and Services Tax Act), in section 2,—

(i) in clause (61), after the word and figure “section 9”, the words, brackets and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017” shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2025;

(ii) in clause (69),—

(a) in sub-clause (c), after the words “management of a municipal”, the word “fund” shall be inserted;

(b) after sub-clause (c), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

—  
‘*Explanation.*—For the purposes of this sub-clause—

(a) “local fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;

(b) “municipal fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;’;

(iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(116A) “unique identification marking” means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;’.

### 3. Amendment of section 12.

In section 12 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, sub-section (4) shall be omitted.

### 4. Amendment of section 13.

In section 13 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, sub-section (4) shall be omitted.

### 5. Amendment of section 17.

In section 17 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (5), in clause (d),—

(i) for the words “plant or machinery”, the words “plant and machinery” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;

(ii) the *Explanation* shall be numbered as *Explanation 1* thereof, and after *Explanation 1* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

‘*Explanation 2.*—For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to “plant or machinery” shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to “plant and machinery”;’.

### 6. Amendment of section 20.

In section 20 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, with effect from the 1st day of April, 2025,—

(i) in sub-section (1), after the word and figure “section 9”, the words, brackets and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017” shall be inserted;

(ii) in sub-section (2), after the word and figure “section 9”, the words, brackets and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017,” shall be inserted.

#### **7. Amendment of section 34.**

In section 34 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the—

(i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or

(ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.”.

#### **8. Amendment of section 38.**

In section 38 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act,—

(i) in sub-section (1), for the words “an auto-generated statement”, the words “a statement” shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),—

(a) for the words “auto-generated statement under”, the words “statement referred in” shall be substituted;

(b) in clause (a), the word “and” shall be omitted;

(c) in clause (b), after the words “by the recipient,”, the word “including” shall be inserted;

(d) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(c) such other details as may be prescribed.”.

#### **9. Amendment of section 39.**

In section 39 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (1), for the words “and within such time”, the words “within such time, and subject to such conditions and restrictions” shall be substituted.

#### **10. Amendment of section 107.**

In section 107 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (6), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty has been paid by the appellant.”.

#### **11. Amendment of section 112.**

In section 112 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (8), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of section 107 has been paid by the appellant.”.

**12. Insertion of New section 122B. (Penalty for failure to comply with track and trace mechanism.)**

After section 122A of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted, namely:—

“122B. Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher.”.

**13. Insertion of New section 148A. (Track and trace mechanism for certain goods.)**

After section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted, namely:—

“148A. (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,—

(a) the goods;

(b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods,

to which the provisions of this section shall apply.

(2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),—

(a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and

(b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.

(3) The persons referred to in sub-section (1), shall,—

(a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;

(b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;

(c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;

(d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.”.

**14. Amendment of Schedule III.**

In Schedule III of the Jharkhand Goods and Services Tax Act,—

(i) in paragraph 8, after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;”;

(ii) in *Explanation 2*, after the words “For the purposes of”, the words, brackets and letter “clause (a) of” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017;

(iii) after *Explanation 2*, the following *Explanation* shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“*Explanation 3.*—For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions “Special Economic Zone”, “Free Trade Warehousing Zone” and “Domestic Tariff Area” shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.”.

**15. No Refund of tax collected.**

No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had section 14 been in force at all material times.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव),  
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी  
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

-----